सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

---

28 भाद्र, 1944 (श०)

संख्या - 458 राँची, सोमवार, 19 सितम्बर, 2022 (ई०)

स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

14 सितम्बर, 2022

संख्या-10/पारा०मेडि०-07-09/2021 स्वा०-238(10)--'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्तशक्तिका प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत पारा मेडिकल कर्मियों (यथा-परिचारिका ग्रेड 'ए', ए०एन०एम०, फार्मासिस्ट, प्रयोगशाला प्रावैधिक, एक्स-रे तकनीशियन) की नियुक्ति नियमावली, 2018 में संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ:

(i) यह नियमावली स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत पारा मेडिकल कर्मियों (यथा-परिचारिका ग्रेड 'ए', ए०एन०एम०, फार्मासिस्ट,प्रयोगशाला प्रावैधिक, एक्स-रे तकनीशियन) की नियुक्ति (संशोधन) नियमावली, 2022'' कहलाएगी ।

(ii) इसका विस्तार संपूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।

(iii) यह नियमावली झारखण्ड गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त् होगी।

2. स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत पारा मेडिकल कर्मियों (यथा-परिचारिका ग्रेड 'ए', ए०एन०एम०, फार्मासिस्ट, प्रयोगशाला प्रावैधिक, एक्स-रे तकनीशियन) की नियुक्ति नियमावली, 2018 के नियम 4 (क) में निम्नलिखित प्रावधान हैः-

''अभ्यर्थी ने इस नियमों के अधीन नियुक्ति की तिथि को पारा मेडिकल कर्मियों (यथा-परिचारिका ग्रेड- 'ए', ए०एन०एम०, फार्मासिस्ट, प्रयोगशाला प्रावैधिक, एक्स-रे तकनीशियन) के पद पर नियुक्ति नियमावली यथा झारखण्ड राज्य परिचारिका संवर्ग(भर्त्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त्त)नियमावली 2012/झारखण्ड राज्य फार्मासिस्ट संवर्ग (भर्त्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त्त) नियमावली 2013/झारखण्ड राज्य प्रयोगशाला प्रावैधिक (भर्त्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त्त) नियमावली 2013/अथवा एतद् विषयक आदेश के अधीन नियुक्ति के लिए अपेक्षित अर्हता के साथ-साथ विज्ञापन के आलोक में अर्हता प्राप्त कर ली हो, और''

को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है-

''अभ्यर्थी ने इस नियमों के अधीन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक पारा मेडिकल कर्मियों (यथा-परिचारिका ग्रेड- 'ए', ए०एन०एम०, फार्मासिस्ट, प्रयोगशाला प्रावैधिक, एक्स-रे तकनीशियन)के पद पर नियुक्ति नियमावली यथा झारखण्ड राज्य परिचारिका संवर्ग (भर्त्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त्त) नियमावली 2012/झारखण्ड राज्य फार्मासिस्ट संवर्ग (भर्त्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त्त) नियमावली 2013/झारखण्ड राज्य प्रयोगशाला प्रावैधिक (भर्त्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त्त) नियमावली 2013/अथवा एतद् विषयक आदेश के अधीन नियुक्ति के लिए अपेक्षित अर्हता के साथ-साथ विज्ञापन के आलोक में अर्हता प्राप्त कर ली हो, और''

3. स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत पारा मेडिकल कर्मियों (यथा-परिचारिका ग्रेड 'ए', ए०एन०एम०, फार्मासिस्ट, प्रयोगशाला प्रावैधिक, एक्स-रे तकनीशियन) की नियुक्ति नियमावली, 2018 के नियम 4 (क)ट)में निम्नलिखित प्रावधान हैः-

''(क) ए०एन०एम०- मैट्रिक या 10वीं पास (न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण), 18 माह का ए०एन०एम०प्रशिक्षण उत्तीर्ण तथा झारखण्ड नर्सिंग कांउसिल से निबंधित।''

को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है-

''(क) ए०एन०एम०- मैट्रिक या 10वीं पास, 18 माह का ए०एन०एम० प्रशिक्षण उत्तीर्ण तथा झारखण्ड नर्सिंग कांउसिल से निबंधित ।''

इसके अतिरिक्त नियम-4 (क) के कंडिका (प) से (अ) में अंकित योग्यता एवं अर्हता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक/10वीं कक्षा एवं इंटरमीडिएट/10+2 कक्षा झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति-रिवाज, भाषा एवं परिवेश काज्ञान होना अनिवार्य होगा ।

परन्तु यह कि झारखण्ड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामाले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक/10वीं कक्षा तथा इंटरमीडिएट/12वीं कक्षा उत्तीर्ण होने सम्बन्धी प्रावधान शिथिल रहेगा ।

परन्तु यह कि स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार अन्तर्गत नियमावली के शर्तों के अनुरुप संविदा पर कार्यरत कर्मियों के मामले में उक्त प्रावधान को एक बार के लिए शिथिल किया जाता है ।

4. स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षाएवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत पारा मेडिकल कर्मियों (यथा-परिचारिका ग्रेड 'ए', ए०एन०एम०, फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट, प्रयोगशाला प्रावैधिक, एक्स-रे तकनीशियन) की नियुक्ति नियमावली, 2018 के नियम 5 (III) में निम्नलिखित प्रावधान हैः-

''पारा मेडिकल कर्मियों यथा ए०एन०एम०, परिचारिका ग्रेड 'ए', फार्मासिस्ट, प्रयोगशाला प्रावैधिक,

एक्स-रे तकनीशियन के रूप में कार्य के अनुभव का प्रमाण पत्र संबंधित जिलों के असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी तथा राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल/ईटकी आरोग्यशाला, ईटकी, राँची इत्यादि संस्थानों में कार्यरत रहने की स्थिति में संबंधित संस्थान के अधीक्षक/ नियंत्री पदाधिकारी द्वारा दिया जायेगा ।''

को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है-

''पारा मेडिकल कर्मियों यथा ए०एन०एम०, परिचारिका ग्रेड 'ए', फार्मासिस्ट, प्रयोगशाला प्रावैधिक,

एक्स-रे तकनीशियन के रूप में कार्य के अनुभव का प्रमाण पत्र संबंधित जिलों के असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी तथा राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल/ईटकी आरोग्यशाला, ईटकी, राँची तथा रिम्स, राँची एवं रिनपास, राँची में कार्यरत रहने की स्थिति में संबंधित संस्थान के अधीक्षक/ नियंत्री पदाधिकारी द्वारा दिया जायेगा ।''

5. स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत पारा मेडिकल कर्मियों (यथा-परिचारिका ग्रेड 'ए', ए०एन०एम०, फार्मासिस्ट, प्रयोगशाला प्रावैधिक, एक्स-रे तकनीशियन)की नियुक्ति नियमावली, 2018 के नियम 6 में निम्नलिखित प्रावधान हैः-

(I) इन नियमों के अधीन नियुक्त व्यक्ति उनके नियुक्ति के आदेश की तिथि से वरीयता का हकदार होगा ।

(ii) इन नियमों के अधीन नियुक्त व्यक्ति को संबंधित नियुक्ति नियमों यथा झारखण्ड राज्य के नर्सिंग संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त्त) नियमावली, 2012/झारखण्ड राज्य फार्मासिस्ट संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त्त) नियमावली, 2013 अथवा एतद् विषयकआदेश, के अनुसार पूर्व में नियमित रूप से नियुक्त व्यक्तियों के नीचे रखा जायेगा ।

(iii) आयोग द्वारा अनुशंसित मेधा सूची के आधार पर वरीयता का निर्धारण किया जायेगा ।

(iv) दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मेधा क्रमांक एक होने की स्थिति में उनकी पारस्परिक वरीयता का निर्धारण उनकी जन्म तिथि की वरीयता के आधार पर किया जायेगा ।

(v) वरीयता के उपरोक्त सभी शर्त्त सामान्य रहने की स्थिति में अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार वरीयता का निर्धारण किया जायेगा ।

को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है-

(i) इन नियमों के अधीन नियुक्त व्यक्ति को संबंधित नियुक्ति नियमों यथा झारखण्ड राज्य के नर्सिंग संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त्त) नियमावाली, 2012/झारखण्ड राज्य फार्मासिस्ट संवर्ग(भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त्त) नियमावली, 2013 अथवा एतद् विषयकआदेश, के अनुसार पूर्व में नियमित रूप से नियुक्त व्यक्तियों के नीचे रखा जायेगा ।

(ii) आयोग द्वारा अनुशंसित मेधा सूची के आधार पर वरीयता का निर्धारण किया जायेगा।

(iii) दो या दो से अधिक व्यक्तियों के प्राप्तांक समान रहने पर मेधा का निर्धारण उम्मीदवारों की जन्म तिथि के आधार पर किया जायेगा तथा अभ्यर्थी, जिनकी उम्र ज्यादा होगी, उन्हें अपेक्षाकृत उपर स्थान मिलेगा ।

यदि एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक और जन्म तिथि समान पायी जाती है तो ऐसी स्थिति में उनके मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को मेधा क्रम में उपर रखा जायेगा ।

(iv) वरीयता के उपरोक्त सभी शर्त्त सामान्य रहने की स्थिति में अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार वरीयता का निर्धारण किया जायेगा ।

6. स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत पारा मेडिकल कर्मियों (यथा-परिचारिका ग्रेड 'ए', ए०एन०एम०, फार्मासिस्ट, प्रयोगशाला प्रावैधिक, एक्स-रे तकनीशयन) की नियुक्ति नियमावली, 2018 के नियम 11 में निम्नलिखित प्रावधान हैः-

''कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अधिसूचना सं0 5938 दिनांक 14.07.2016 एवं संकल्प सं० 3854 दिनांक 01.06.2018 प्रभावी होगा ।''

को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है-

''राज्य सरकार के अधीन वर्ग-'ख', 'ग' एवं 'घ' के पदों पर नियुक्ति हेतु समय-समय पर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषाविभाग द्वारा निर्गत आदेश/अधिसूचना/संकल्प लागू होंगे ।''

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अरुण कुमार सिंह,

अपर मुख्य सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 458 - 50